सहायक कलेक्टर (मु.)

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर मुकाम नागौर

व इजलाश श्री बृजेन्द्र मीना R.A.S

जस्साराम पुत्र दयालराम जाट बनाम ① भंवर लाल पुत्र दयालराम

निवासी ग्राम जनाणा तह. मूंडवा ② रामचन्द्र पुत्र दयालराम

③ तहसीलदार मूंडवा

दावा राजस्व वाद मुकद्दमा 2451 सन् 2016 P.T.O

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

व हाजरी मिनजानिब मुद्दई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

साबिका खसरा नंबर 681 रकबा 6 बीघा मे से 1 बीघा 1 बिस्वा नाडा की जमीन को छोडकर शेष बची जमीन का रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा मौजा जनाणा तहसील मूंडवा का वादी के तन्हा बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड मे

लीज दुरस्ती किया जावे। मुबलिक बाबत

खर्चा इस मुकद्द में मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की

तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें ।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 1 सन् 2019

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलेक्टर (मु.)

मुददई	रुपया	पैसा	मुद्दयला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

(4) सुखदेव पुत्र नेनाराम

(5) छोटाराम पुत्र सीताराम

(6) बालकराम पुत्र हरीराम

(7) प्रहलादराम पुत्र हरीराम

(8) बीरराम पुत्र हरीराम

(9) जीतुराम पुत्र हरीराम जाट

(10) सहीराम पुत्र शिवकरण जाति जाट

निवासी जनाणा तह० मूण्डवा

कार्यालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर

बेइजलास बृजेन्द्र मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 245 / 2016

वादी– बनाम प्रतिवादीगण

जसाराम पुत्र श्री दयालराम जाति जाट
निवासी ग्राम जनाणा तहसील मुण्डवा
जिला नागौर,

1. भंवरलाल पुत्र दयालराम
2. रामचन्द्र पुत्र दयालराम
3. तहसीलदार मुण्डवा
4. सुखदेव पुत्र नेनाराम
5. छोटाराम पुत्र सीताराम
6. बालकराम पुत्र हरीराम
7. प्रहलादराम पुत्र हरीराम
8. बीराराम पुत्र हरीराम
9. जीतुराम पुत्र हरीराम जाति जाट
10. सहीराम पुत्र शिवकरण जाति जाट
    निवासी जनाणा तहसील मुण्डवा

दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाडा, रेकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

वादी वकील पांचाराम चौधरी

प्रतिवादीगण वकील प्रेमसुख फिडौदा।

1. यह हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा स्वर्गीय नैनाराम की खातेदारी का खेत साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा वाके मोजा जनाणा हाल तहसील मुण्डवा रहता चला आया हैं नकल खतौनी सम्वत् 1981 की पेश हैं। नैनाराम के स्वर्गवास के बाद नैनाराम के पुत्रगण दयालराम, सीताराम, हरीराम, सुखदेव की खातेदारी अधिकार में आया नकल खतौनी सम्वत् 2014 से 2017 की पेश हैं।
2. यह हैं कि बापोती के खेतों का वादी के पिता दयाल एवं काका सीताराम, हरीराम व सुखदेव के बीच आपसी सहमति से नैनाराम के स्वर्गवास के बाद हुआ तब उक्त खेत की जमीन दयालराम के बंट कब्जा काश्त में आई एवं दयालराम के स्वर्गवास के बाद में दयाल के बेटो के बीच बंटवाडा आपसी सहमति से हुआ तब उक्त खेत की जमीन बापोती की वादी जसाराम के बंट कब्जा काश्त में आई एवं

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

अन्य जमीन प्रतिवादीगण के बंट में आई बाद बंटवाडा उक्त खेत पर वादी का कब्जा काश्त मौका पर मौजूद हैं।

3. यह हैं कि वादी के बडेरे अनपढ थे वादी भी बाहर नौकरी पर होने से राजस्व रेकार्ड की ओर ध्यान नहीं दिया राजस्व रेकार्ड की नकले मांगने पर जानकारी हुई की साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा के हाल खसरा नम्बर 805 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकिन बगडाानाडा बनो साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा में से 1 बीघा 1 बिस्वा बगडानाडा की जमीन के अलावा शेष बची जमीन रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का राजस्व रेकार्ड सेटलमेंट के कर्मचारियों की गलती से बना हीं नहीं था मगर मौका पर जमीन वादी के बापोती की खातेदारी अधिकार की जमीन पर कब्जा काश्त वादी के दादा से लेकर आज तक मौजूद होते हुवे थी राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व से ही खातेदारी की जमीन का राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी को घोषणा खातेदारी बंटवाडा एवं रेकार्ड दुरूस्ती का वाद पेश करना लाजमी होने से पेश किया जा रहा हैं।

4. यह हैं कि वादी के बापोती की जमीन के चारों तरफ की माठे पुराने समय से ही मौजूद हैं वादी के बापोती की जमीन मौका पर निम्न पडौसी उतर में–नानकराम के वारिसान नारायणराम के बेटों का खेत खसरा नम्बर 806 की जमीन हैं, दक्षिण में खसरा नम्बर 805 नाडा की जमीन एवं खसरा नम्बर 804 की जमीन जो वादीगण के काका हरीराम के वारिसान बालकराम आदि के बंट की जमीन है, पूर्व में नानकराम के वारिसान नारायण के बेटों के बंट की जमीन हैं। पश्चिम में–खेत खसरा नम्बर 803 किशोर के बेटों के जमीन के बीच की जमीन वादी के बापोती का खेत रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा जनाणा मौका पर मौजूद हैं कब्जा काश्त मोका पर वादी का मौजूद हैं। पडोसीयान को भी कोई किसी तरह की आत तक आपति नहीं हैं कि जो साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा में से 1 बीघा 1 बिस्वा के अलावा शेष बची जमीन रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा जमीन वादी के बापोती की होने से वादी पाने का अधिकारी हैं सेटलमेंट की गलती को दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत हैं। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण जरिए सम्मन तलब किए गए ।

प्रार्थी सुखदेव वगैरा के द्वारा आवेदन पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का दिनांक 15.07.2016 को प्रस्तुत किया जिस पर वादी वकील ने नो आब्जेक्सन

उपखण्ड अधिकारी (मु.), झुंझुनूं

किया। अतः प्रार्थीगण सुखदेव वगैरा को प्रतिवादी सं. 4 से 10 के रूप में पक्षकार बनाये गये प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 के तरफ से इकबाली जबाब प्रस्तुत किया गया ।

वादी ने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के एवं प्रतिवादी जीतुराम सहीराम के बयान करवाये तथा नकल खतौनिया एवं मौका रिपोर्ट प्रदर्श 1 से 7 प्रस्तुत किए।

वादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रतिवादी स. 3 भूमिधारी तहसीलदार मुण्डवा ने भी इकबाली जवाब दिनांक 01.07.2016 को पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। तहसीलदार मुण्डवा से न्याय आपके द्वार अभियान 2016 में मौके की रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली हैं ।

वादी वकील ने अपनी बहस के दौरान यह बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 व 4 से 10 के द्वारा स्व. नेनाराम की खातेदारी का खेत साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा मौजा जनाणा तहसील मुण्डवा में स्थित है। वादी के बडेरे अनपढ होने से एवं वादी नौकरी हेतु बाहर रहने से रिकार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया एवं अभी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर ध्यान में आया कि साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा के हाल खसरा नम्बर 805 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकिन बगडा नाडा बने। साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा में से 1 बीघा 1 बिस्वा बगडा नाडा की जमीन के अलावा शेष बची जमीन रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से बना नहीं था।

मगर मौके पर जमीन पर कब्जा काश्त वादी के बडेरों से वर्तमान में वादी का लगातार रहता चला आ रहा हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का एवं तहसीलदार मुण्डवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 का अवलोकन किया।

उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डवा ने यह लिखा कि ग्राम जनाणा के साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा संवत् 1981 में नेन्यों खोले खरता के जातरों जाट भाकल ग्राम जनाणा के नाम था।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल खतौनी मौजा जनाणा संवत् 2014 से 2017 में साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा दयाल ने सीताराम ने हरिया ने सुखदेव पिता

नेना कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज साबित हैं। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि भू प्रबन्ध के समय साबिका खसरा नम्बर 676, 680 व 681 तीनो के मिलाकर 1 खसरा नम्बर 806, 805 आंशिक बने एवं साबिका खसरा नम्बर 681 का मौके पर 5 बीघा 10 बिस्वा रकबा मौजूद हैं एवं वाद दुरूस्त करने की अभिशंषा भी की हुई हैं।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं बयानात से वादी के वाद को समर्थन मिलता हैं। तहसीलदार मुण्डवा की मौका रिपोर्ट एवं उनके द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब को मध्यनजर रखते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता हैं–

साबिका खसरा नम्बर 681 रकबा 6 बीघा में से 1 बीघा 1 बिस्वा नाडा की जमीन को छोडकर शेष बची जमीन का रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा मौजा जनाणा तहसील मुण्डवा वादी के तन्हा बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जाता हैं।

इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार मुण्डवा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु०)

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय)
नागौर